19/05/25

पराडली पेशी वकील अपीलान्ट हाजिर।
पराडली के वकील अपीलान्ट का मुकदमे
की बाबत कोर्ट हिदायत की कि मुमकिन
है ~~अपीली~~ रेस्पो. मीटाकिल की रसीद
पेश करे लेकिन आज तक तकतामिल की
रसीद पेश नहीं की। अतः रेस्पो. की आईदा
अर्जी आदेश 9 नियम 13 के तहत खारिज
किया जाता है। पराडली फैसल शुरू होकर
नम्बर फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)